कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

आदेश पत्रक

विविध वाद सं0 ..... 01 ..... / 16–17

आदेश की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख
08.01.18	:– आदेश :– **विविध वाद : 01 / 16–17** प्रस्तुत वाद आवेदन संजय कुमार नायक पिता नागेश्वर प्रसाद नायक ग्राम+पो0 माण्डू, जिला रामगढ के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक का कहना है कि ग्राम माण्डू थाना नं0 114 खाता नं0 42 रकवा 11.48 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गोविन्द तेली के नाम से रैयती दर्ज है। जिसकी जमाबंदी राजस्व पंजी II के भोल्युम नं0 113 / IX मे गोविन्द महतो के नाम से दर्ज है। आवेदक का कहना है कि कुल जमा रकवा 11.48 ए0 भूमि में से 5.74 ए0 भूमि लक्ष्मण साव के हिस्से का होता है। लक्ष्मण साव द्वारा रकवा 2.93 ए0 भूमि सोहो कुमारी के नाम से बिक्री की गई है। शेष रकवा 2.93 ए0 भूमि की आधी भूमि $1.46^{1/2}$ ए0 भूमि उनके हिस्से की है क्योंकि लक्ष्मण साव उनके नाना थे। आवेदक ने उक्त भूमि की जमाबंदी उनके नाम से खोलकर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है। यह वाद काफी पुराना है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद 06.05.2016 को खोला गया था। किन्तु उसके वाद पर कोई सार्थक कार्रवाई नही हुई है। अभिलेख में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन सम्मिलित है जो आवेदक के आवेदन मे उल्लखित तथ्य को ही उजागर करता है। यह वाद मातृक (Maternal) सम्पति में हिस्सेदारी से संबंधित है। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृक सम्पति में हिस्सेदारी दिलाने का मामला अद्योहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा इसे विवेचना व्यावहार न्यायालय में ही सम्भव है। वादी चाहे तो व्यवहार न्यायालय में राहत के लिए आवेदन दे सकते है। इस Observation के साथ वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 8/1/18 अंचल अधिकारी माण्डू 8/1/18 अंचल अधिकारी माण्डू 8.01.18	